विचार बिन्दु

जो दूसरों पर उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हैं। –टैगोर

एक बार इस्तेमाल प्लास्टिक पर प्रतिबंध: कैसे सफल हो?

एक बार इस्तेमाल प्लास्टिक (यथा सिंगल यूज़ प्लास्टिक) का पुनः इस्तेमाल करने पर 21 आइटम्स पर 1 जुलाई, 2022 से केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत बने वेस्ट (मैनेजमेन्ट एन्ड हैन्डलिंग) नियम 2016 के अन्तर्गत 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाया गया। खेद का विषय है कि इस विज्ञप्ति की जानकारी या चर्चा टी.वी. चैनल्स या समाचार पत्रों में जून के अन्त तक नहीं की गई।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसरण में 20 जून 2022 को एक आदेश प्रसारित करके एकल उपयोग वाली 21 आइटम्स पर 1 जुलाई 2022 से बैन लगाया है, जिसमें कान के लिए प्लास्टिक इयर बड्स, बैलून्स स्टिक, कप गिलास, कटलरी कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रा ट्रे, पैकिंग स्वीट बॉक्स, निमन्त्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, बैनर्स एवं बैग्स (100 मॉइक्रोन से कम) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय समस्त कार्यालयों में हर प्रकार के प्लास्टिक बैग्स सहित सभी उपरोक्त आइटम्स को लाना-प्रयोग करना निषिद्ध कर दिया गया है। साथ ही विकल्प के रूप में बायोडिग्रेडेबल यथा मिट्टी में स्वतः नष्ट होने वाले उत्पादों के इस्तेमाल पर बल दिया गया है।

नागरिक जागरुकता एवं जनस्मृति को पुनः याद दिलाने हेतु लेखक का 13 जनवरी 2022 को राष्ट्रदूत में 'भारत सरकार की प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन योजना की कमियाँ एवं कमजोरियाँ' शीर्षक का आलेख प्रकाशित हुआ था। इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर 1 जुलाई 22 से पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने का जिक्र प्रथम पैरा में किया गया था। चर्चा एवं प्रचार-प्रसार के अभाव के चलते अब आनन फानन में राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कर दिया है जिसकी बैठक में मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य समन्वय एवं सहयोग पर बल दिया और जन-जागरुकता हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिये।

नागरिक जागरुकता अभियान की जगह जयपुर ग्रेटर निगम ने विभिन्न बाजारों एवं मंडियों में सैंकड़ों की संख्या में स्टाक रखने एवं अन्य पाये गये उल्लंघनों के चालान काट दिये जैसा कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया (2 जून 22)।

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिबन्ध में प्लास्टिक की मिनरल या अन्य पानी पीने की बोतलें शामिल नहीं हैं यद्यपि जनमानस में इनके द्वारा प्रदूषण फैलाने की पूर्ण सम्भावना पाई जाती है। 120 माइक्रोन्स से कम वाले कैरी बैग्स सहित समस्त 21 उत्पादों–आइटम्स के उत्पादन, स्टाक रखने और वितरण करने वालों को, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध के उल्लंघन के लिए पाँच वर्ष की सज़ा एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और दुबारा उल्लंघन करने पर 5000 प्रतिदिन की पेनल्टी लगाई जा सकेगी। उल्लंघन के लिए कम्पनियों, संगठनों एवं राजकीय विभागों के लिए अलग पेनल्टी का प्रावधान है।

इस संदर्भ में ऑल इन्डिया प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोशियन ने अतिशीघ्रता से लगाये प्रतिबन्ध के कारण 88,000 इकाइयों में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों को रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न होना व्यक्त किया है। प्रमुख उत्पादकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि 25000 करोड़ के निर्यात का कार्य प्लास्टिक उद्योग द्वारा किया जाता है जिस पर विपरीत असर पड़ेगा। दूसरी ओर, विकल्प में उपलब्ध या सम्भावित बायोडिग्रेडबल उत्पादों से एफ.एम.सी.जी. (फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स) की लागत और कीमत में अवांछनीय वृद्धि होगी। ऐसे बायोडिग्रेडबल या अन्य विकल्प के उत्पादों की उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है– इस संदर्भ में प्लास्टिक उत्पादकों ने 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबन्ध को स्थगित करने की माँग की है और क्षतिपूर्ति की माँग भी की है।

120 माइक्रोन्स से कम वाले कैरी बैग्स सहित समस्त 21 उत्पादों–आइटम्स के उत्पादन, स्टाक रखने और वितरण करने वालों को, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध के उल्लंघन के लिए पाँच वर्ष की सज़ा एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और दुबारा उल्लंघन करने पर 5000 प्रतिदिन की पेनल्टी लगाई जा सकेगी।

सरकार फिलहाल प्रतिबन्ध वापस नहीं लेने पर अडिग है। केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक उद्योग से जुड़े विभिन्न हितधारकों से लगातार वर्ष 2018 से परामर्श किया जा रहा है एवं प्रतिबन्ध लागू होने से एक वर्ष पूर्व का समय अगस्त 2021 से उपलब्ध था जिसमें सभी उद्योग से जुड़े हितधारक एडवान्स योजना बना कर प्रतिबन्ध 1 जुलाई 2022 से लागू होने से पहले तैयारी पूरी कर सकते थे।

प्लास्टिक के वर्तमान प्रतिबन्ध से पूर्व 50 माइक्रोन्स से कम प्लास्टिक के कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, साथ ही गुटखा तम्बाकू आदि के सैशे (पैकिंग पदार्थ) निषिद्ध कर दिये गये थे।

भारत सरकार प्रतिबन्ध पर इसलिए भी कटिबद्ध है क्योंकि 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के चौथे पर्यावरण सम्मेलन में उन्होंने ही प्लास्टिक पर 2022 से प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव पारित कराया था और स्वयं लागू करने का आश्वासन दिया था।

प्लास्टिक से, वर्तमान में एक ऑकलन के अनुसार, प्रति वर्ष भारत में 3 किलो प्रति व्यक्ति कचरा एकत्र होता है और 2050 तक इसके छ गुना होने की सम्भावना है। प्रति वर्ष विश्व में 300 मिलियन टन कचरा इकट्ठा होने का ऑकलन किया गया है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि प्लास्टिक 400 वर्षों तक नष्ट नहीं होता है। इससे जमीन में, नदियों में पानी भी प्रदूषित होता है और वहाँ से यह समुद्र में जा पहुँचता है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विश्व को प्लास्टिक उपयोग का शीघ्र से शीघ्र विकल्प विकसित कर बड़े पैमाने पर उत्पादित कर अपनाने होंगे। भारत में नये विकल्प तेजी से खोजे जा रहे हैं किन्तु उनके बड़े पैमाने में उत्पादन में समय लगेगा। मिट्टी प्रचुरता में उपलब्ध है और मिट्टी के उपयोगी आइटम्स बनने लगे हैं इसी प्रकार ज्वार के प्याले, चम्मच, प्लेट खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होकर खाये जा सकते हैं। बांस की कटलरी का उपयोग शुरू हो चुका है किन्तु जंगलों में इसके उपलब्ध होने और उपयोगी सामान बनाने में कई अड़चनें उत्पन्न होंगी। जाहिर है इन्हें दूर करना होगा।

प्लास्टिक कचरे का उपयोग कुछ सीमा तक सड़क बनाने में होने लगा है। दूसरी ओर प्लास्टिक मिला कर निर्माण की इटों का उत्पाद भी शुरू हो गया है।

डी.डी.न्यूज ज़ज्बा इन्डिया की एक खबर है कि पोर्ट ब्लेयर (अन्डमान्स निकोबार द्वीप समूह की राजधानी) में डिप्टी मेयर ने वेस्ट टू वन्डर पार्क बना कर प्लास्टिक कचरे से मूर्तियाँ एवं अनेक संरचना को आकार दिया है। दूसरी ओर, तमिलनाडु विरुद नगर में लोगों को प्रोत्साहित करके एकत्र कचरे का एक कचरा बैंक बना कर प्लास्टिक कचरे का वर्गीकरण कर छँटाई करके रिसाइकिल द्वारा नये उत्पाद तैयार किये हैं। कचरा बैंक और रिसाइकिलिंग कार्य में 600 परिवारों को रोजगार मिला है।

प्रश्न यह है कि आम नागरिक क्या कर सकता है? सर्वप्रथम, प्लास्टिक उपयोग काल से पूर्व उपयोग वाले आम नागरिक द्वारा घर पर या दर्जी के सिले थैलों का उपयोग शुरू करना होगा एवं जरूरत के हिसाब से एक नहीं अनेक थैलों का प्रयोग करके अलग-अलग सामान खरीदना चाहिये। आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करना होगा। घर में पड़े कचरे को कचरा गाड़ी को सुपुर्द करना होगा।

दूसरे, स्वैच्छिक एवं अन्य संगठनों के माध्यम से मिट्टी, बांस एवं विकल्प के अन्य उत्पादों को बनाने और मार्केटिंग के लिये सभी हितकारकों को पहल करनी होगी। उत्पाद के पेटेन्ट एवं सामग्री की उपलब्धता को स्थानीय टी.वी. चैनल्स एवं अखबारों पर प्रसारित करना होगा।

स्थानीय निकाय म्युनिसिपल बोर्ड निगम आदि केवल चालान न काटें वरन जागरुकता अभियान चलायें एवं सामुदायिक केन्द्रों एवं रिहाइशी कॉलोनियों के रहवासियों के संगठनों का इस हेतु सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के भरोसे न रह कर विकल्प के उत्पादों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित योजना तैयार करनी होगी। एकल उपयोग प्लास्टिक पर बैन एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, इसे सफल बनाना ही होगा। देखें आप क्या कर सकते हैं और करेंगे?

–अतिथि सम्पादक,
आई.सी.श्रीवास्तव,
आई.ए.एस. (से.नि.)
(पूर्व अध्यक्ष, ट्रांसपेरेन्सी, इण्टरनेशनल इन्डिया)

अब और नहीं

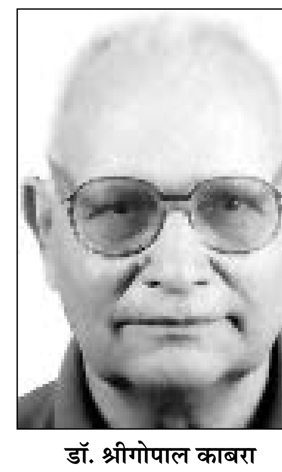

डॉ. श्रीगोपाल काबरा

स्त्री रोग विभाग का आउटडोर। बाहर एक मेज पर हाउस सर्जन बैठी हैं, अंदर चैम्बर में चीफ सर्जन। एक महिला आती है – बॉब कट बाल, टॉप और जींस पहने, ठसके से चलते हुए। हाउस सर्जन की मेज पर फाइल रख बिना किसी भूमिका के कहती है – अबोर्सन करवाना है। हाउस सर्जन फाइल देख पूछती है – आपने पति का नाम नहीं लिखा? अबोर्सन मुझे करवाना है, पति को नहीं – पलट कर जवाब। हाउस सर्जन पीरियडस के बारे में पूछ कर लिखती है, फिर – अबोर्सन क्यों करवाना चाहती हैं? का जवाब – बच्चा नहीं चाहती इसलिए और क्यों। नहीं चाहती तो गर्भ धारण ही क्यों किया था? कौनसा चाह कर किया था, यह तो हो गया। फिर थोड़ा झुंझलाते हुए बोली– आप मुझे चीफ सर्जन के पास ले चलेंगी, मैं उन्हीं के लिए आई हूं।

महिला, चीफ को बताती है कि वह एक काल सेंटर में एक्जीक्यूटिव है, विवाह नहीं किया है, अपनी पसंद के लड़के के साथ रह रही हैं। चूक से गर्भ ठहर गया है, अबोर्सन करवाना है। फाइल देख चीफ पूछती हैं – चूक हो गई तो अभी तक क्या कर रही थी? बीस सप्ताह हो गए। जी, काम ही ऐसा है, समय ही नहीं मिला। अभी भी दिक्कत है, अगर शनिवार को अबोर्सन कर दें तो सोमवार को आफिस चली जाय। उसे मालूम है 20 सप्ताह तक गर्भपात महिला का अधिकार है। वह पहले भी करवा चुकी है, सब जानती है।

चीफ उसे कानून विशेषज्ञ के पास भेज देती हैं। वे देख कर कहते हैं कि निरोध की असफलता से ठहरा गर्भ गिराना केवल विवाहित महिला में ही मान्य है। वह बहस करती है तो कानून पढ़ा देते हैं। वह जाती है, पति का नाम लिख दूसरी फाइल बनवाती है और कानून विशेषज्ञ को आ कर बताती है कि चीफ सर्जन मान गई हैं।

अस्पताल ने नई सोनोग्राफी मशीन ली है जिससे थ्री डाइमेंशनल वीडियोग्राफी हो सकती है। महिला उसकी लिखित में अनुमति देती है। अबोर्सन होता है, उसकी वीडियो ग्राफी होती है। ऑपरेशन के बाद चीफ सर्जन और सभी उसे देखने बैठते हैं। स्क्रीन पर नन्हें गर्भस्थ शिशु का चित्र उभरता है। हरकत करते नन्हें हाथ पांव, बंद पलकें, होंठ, नाकनक्स। नीचे से औजार आता है, बच्चा बचने की कोशिश करता है और उसके बाद आता जाता औजार और छटपटाहट। चीफ कॉफी का प्याला रख वीडियो बंद करने को कहती है। कहती है उसने सैंकड़ों अबोर्सन किये हैं, लेकिन इसमें क्या होता है वह देखा पहली बार है। जी खराब हो गया। वह तो अब गर्भपात कर ही नहीं पायेंगी। कुछ सोच कर कहती हैं यह वीडियो उस महिला को भी दिखाना, कह रही थी यह उसका पहला अबोर्सन नहीं है, वह सब जानती है।

जो मैं पहले जानती

हाउस सर्जन ने पूछा कि कल जिसका एम टी पी किया था वह ठीक है क्या उसको डिस्चार्ज कर दें तो चीफ मैडम ने कहा, कर दो लेकिन जाने से पहले उसे उसकी वीडियो दिखा देना। लैपटॉप और सी डी ले जाना, कहना, जाने से पहले देख ले।

हाउस सर्जन नर्स के साथ उसके कमरे में गई। वह खूब खुश थी, कह रही थी वह बिलकुल फिट है, बिंदास, नहा कर नाश्ता कर चुकी है और अगर छूट्टी कर दें तो वह सीधी अपने आफिस चली जाय। उसने बड़ी खुशी से लैपटॉप और अपनी एम टी पी की सीडी ली और देखने लगी। हाउस सर्जन उसका डिस्चार्ज टिकट बनाने चली गई।

लैपटॉप के रंगीन स्क्रीन पर नन्हें गर्भस्थ शिशु का चित्र उभरा। कई एंगल से उसे दिखाया गया। पलकें ढकी बन्द आंखें, हिलते-डुलते हाथ पांव, जैसे शिशु अंगड़ाई ले रहा हो। महिला 'मेरा बच्चा' के भाव से अभिभूत हो गई। उसे याद आया जब उसने अपने पेट में पहली बार उसकी हलचल महसूस की थी। उसकी इच्छा हो रही थी उंगली से उसके प्यारे होंठो का छुए। तभी नीचे से औजार आता दिखा। वह चौंक कर आगे झुक गई। देखती रही कैसे औजार के छूते ही बच्चा अपने हाथ-पांव हटा लेता था, कैसे एक बार तो उसने उसे अपनी मुट्ठी में ही पकड लिया। और फिर जो दिखा उसको देख उसकी आंखें फटी रह गई, मुंह सूख गया, स्क्रीन पर आते-जाते औजार और छटपटाहट के बाद शांत होते-होते उसने जोर से सिस्टर को पुकारा और एमरजेंसी बैल का बटन दबा दिया।

सिस्टर और हाउस सर्जन भाग कर आईं तो कहने लगी यह क्या है? यह क्या किया? यह तो सरासर मर्डर है। हाउस सर्जन ने कहा वे जो चाहती थीं वही तो किया गया, दूसरी तिमाही के गर्भपात में तो यही होता है। आप तो सब जानती थीं। चीफ सर्जन आईं तो वह उनका हाथ थामे रोने लगी। कह रही थी वह तो मूर्ख थी, अज्ञानता का अहंकार था, पर वे तो जीवन दाता थी, फिर उन्होने... काश वह पहले जानती। अपने बच्चे की हत्या का अपराध बोध उसे जीवन भर सालता रहेगा। वह कैसे जीयेगी इस अपराध बोध के साथ। सर्जन क्या कहती, सलाह दी कि वह किसी अनचाही छोड़ी गई बच्ची को गोद ले ले और उसका पालन करे।

(हाल ही में गर्भपात कानून में संशोधन किये गये हैं। समय सीमा बढा दी है। शिशु और अधिक विकसित होता है)

डॉ. श्रीगोपाल काबरा,
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर

कल इस लेख में तकनीकी खराबी से 'जो मैं पहले जानती' भाग रह गया था। अतः आज पूरा लेख पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। ताकि पाठकों को इसकी महत्ता पूर्णतः समझ आये।

मुस्लिम सेवा संस्थान ने दो बहनों की शादी कर किया विदा

चूरू, (कासं)। ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान ने ग्राम घाघूं में शुक्रवार को एक अनूठी मिशाल पेश करते हुये दो सगी बहिनों को डोली में बैठाकर विदा किया। गौरतलब है कि निकटवर्ती ग्राम घांघू की प्रियंका व सपना के पिता प्रहलाद कुमार व माता बिन्दू कुमारी का कुछ वर्ष पहले किसी दुर्घटना में निधन हो गया था। दोनों बहनों के परिवार वालों की हालत नाजुक थी। समाज के लोगों ने ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष संजय खान घाघूं को इस बात से अवगत करवाया। जिस पर संजय खान ने अपने सभी पदाधिकारियों से वार्ता कर त्वरित निर्णय लेते हुये इन जरूरतमन्द बेटियों की शादी करने की जिम्मेदारी ली।

उन्होंने बेटियों के परिजनों से कहा कि शादी का सम्पूर्ण सामान व परिवार एवं आगुन्तकों के भोजन, पानी और टेण्ट व स्वागत आदि सम्पूर्ण व्यवस्था संस्थान करेगी। इस पर संस्थान के पदाधिकारियों ने बड़े ही धूमधाम से बेटियों को विदा किया। संस्थान के जिलाध्यक्ष संजय खान ने अपने सभी भामाशाहों को इस जरूरत मन्द परिवार की मदद कर इस नेक कार्य में हिस्सा लेने के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया।

पर्यटन नगरी मंडावा के जल्द आएंगे अच्छे दिन

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता ने कस्बे के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया

झुंझुनूं, (निसं)। झुंझुनूं ही नहीं, बल्कि शेखावाटी और राजस्थान में पर्यटन नगरी के रूप में पहचान बनाने वाले मंडावा कस्बे के अब जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जिसको लेकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता शेरसिंह शेखावत मंडावा दौरे पर रहे।

शेखावत ने आर्किटेक्चर टीम के साथ कस्बे के मुख्य पर्यटन स्थल स्नेहराम लडिया हवेली, अलखियान जोहड़, सौंथलिया दरवाजा सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर विकास कार्य होने हैं। सहायक अभियंता शेखावत ने ऐसे स्थानों का मौका मुआयना कर चिन्हित स्थानों नाप आदि लेकर नक्शा रिपोर्ट तैयार की तथा किस तरह से कैसे कहां पर कौन से काम होना हैं के विस्तार से जानकारी ली। पर्यटन शहर मंडावा में सौंदर्यकरण एवं सैलानियों की सुविधाओं को लेकर हेरिटेज वॉक वे में बिजली लाइनों का भूमिगत करना, सैलानियों के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य, हेरिटेज वॉक वे में एक उद्यान रूपी विश्राम स्थल, वाटर कूलर, हेरिटेज वाक वे में हेरिटेज स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग स्थल एवं जन सुविधाओं का जीर्णोद्धार कार्य, उचित स्थानों पर साइन बोर्ड्स की स्थापना, मुकुंदगढ़ रोड पर स्थित अलखियानों जोहड़ का विकास कार्य, हेरिटेज वाक वे के मार्ग की मरम्मत करने का कार्य, फतेहपुर रोड पर स्थित सार्वजनिक कुंड का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य, लडिया कुए का जीर्णोधार कार्य, सौंथलिया गेट का जीर्णोद्धार कार्य, टीबड़ेवाला श्री बालाजी धाम मे विभिन्न पर्यटन विकास कार्य लगभग 3 करोड़ रुपए के बजट से कराए जाऐंगे।

- **मंडावा के ऐतिहासिक स्थलों का विकास होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा**

न्यायालय ने महिला का चरित्र संदेह जनक मानते हुए भरण पोषण दिलवाने से किया इंकार

सादुलपुर, (निसं)। स्थानीय ग्राम न्यायालय नें एक महिला द्वारा अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर भरण पोषण की मांग करने पर महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ग्राम न्यायालय ने उसे भरण पोषण दिलवाने से भी इनकार कर दिया है। प्रकरण अनुसार राजगढ तहसील के गाँव थिरपाली बडी निवासी एक महिला द्वारा चिडावा निवासी अपने पति नरेश कुमार के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए महिला संरक्षण अधिनियम के तहत स्थानीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी।

याचिका के अनुसार महिला का वर्ष 2007 में चिडावा निवासी नरेश कुमार से विवाह संपन्न हुआ था। महिला का आरोप है कि विवाह के बाद उसके पति द्वारा दहेज के लिए उसे तंग परेशान किया जाता रहा है तथा महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज में मोटर साइकिल तथा 51 हजार रुपए की माँग को लेकर उसे प्रताडित कर घर से निकाल देने का आरोप लगाया था। उसी मामले में महिला द्वारा न्यायालय राजगढ में वाद प्रस्तुत करते हुए भरण पोषण की राशि दिलवाए जाने की माँग की गई। जिस प्रकरण में महिला के पति द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि वह खुद पीड़ित है। नरेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत किए गये, जिसमें बताया कि उसकी पत्नी का चरित्र सही नहीं है।

खैरवाड़ा-सागवाड़ा मार्ग पर बन रहा पुल एक साल में ही क्षतिग्रस्त

डूंगरपुर,(निसं)। केन्द्रीय प्राधीकरण के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा खेरवाडा से सागवाड़ा तक डेढ सौ करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का कार्य पिछले लगभग एक साल से प्रारंभ हुआ है जिसके तहत अभी तक इस पूरे मार्ग में आने वाले नये व पुराने पुलों का नवीनीकरण तथा सड़क की चौडाई के कार्य अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं और खेरवाडा से डूंगरपुर के बीच चल रहे सडक के कार्य में पुल अभी से क्षतिग्रस्त होने लग गये हैं। हालात विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व निर्माण कार्य में लगी एजेन्सी के मनमानी की ओर इशारा कर रहे हैं।

इस पूरी सड़क के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन द्वारा डेढ सौ करोड की लागत से बनाने का कार्यादेश व वित्तीय स्वीकृति जनवरी 2022 में जारी की गई है। इसके तहत कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पहले चरण में बीते सात माहो में केवल पुलियाओं के निर्माण भी पूरी तरह नहीं कर पाई है और अभी से पूल क्षतिग्रस्त होने लग गये हैं।

खेरवाडा-डूंगरपुर मार्ग पर बारो का शेर के निकट क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन पुल की दीवारें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरवाडा से डूंगरपुर के बीच बारो का शेर के पास बने पुल के दीवार में अभी से दरारें पड़ गई हैं। जब कि वर्तमान मे सारे आवागमन के वाहन बाईपास रोड से जा रहे हैं। ऐसे में यदि बनने के साथ ही पुल क्षतिग्रस्त हो रहे है तो निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री घटिया प्रयोग में लाई जा रही है जब कि इस कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी समय समय पर इन कार्यो का निरीक्षण भी कर रहे हैं। ऐसे में इन पुलों का बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त होना विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली को भी संदेह के घेरे में ला रहा है। वहीं इस कार्य को कराने वाली कार्यकारी एजेन्सी भी विभागीय नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। खेरवाडा, डूंगरपुर व सागवाड़ा मार्ग पर प्रतिदिन सैकडों वाहन गुजरते हैं।

ऐसे में इस सडक की गुणवत्ता यदि निर्धारित मानको पर नहीं होगी तो आमजन के साथ भी खिलवाड़ होगा। यह सडक पूरी तरह से जनवरी 2024 में बनकर आम जन के लिए समर्पित करनी है लेकिन जिस गति से यह कार्य चल रहा उसके पूर्ण होने की अवधि में पूरा होने पर भी सवालिया निशान खडा कर रहा है। साथ ही इस मार्ग की समस्त गारंटी की अवधि भी 5 वर्ष है। ऐसे में पुलियों के अभी से क्षतिग्रस्त होना पूरे कार्य की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है।

- **डेढ सौ करोड़ की लागत से हो रहा सड़क व पुल निर्माण का कार्य**
- **पुल निर्माण में हो रहा घटिया सामग्री का प्रयोग**
- **केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी समय - समय पर कर रहे कार्यों का निरीक्षण**

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 9 जुलाई, 2022

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2079, स्वाती नक्षत्र दिन 11:25 तक, सिद्ध योग प्रातः 6:48 तक, गर करण सांय 6:40 तक, चन्द्रमा रात्रि 4:25 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-मीन, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 11:25 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात है। आज नवमी भद्रा रात्रि 3:27 से रविवार दिन 2:14 तक रहेगी। आज आशा दशमी व्रत है और गुप्त नवरात्रा पूर्ण और नवरात्रौत्थापन, मन्वादि, गिरिजा पूजा दशमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:26 से 9:08 तक, चर 12:32 से 2:14 तक, लाभ-अमृत 2:14 से 5:38 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:44, सूर्यास्त 7:20

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों उचित सफलता मिलेगी और आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। अटका धन प्राप्त होगा।

कर्क
परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।